Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में ग्राम पंचायत संवारिया, पं.स. टोडारायसिंह का कनिष्ठ लिपिक 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 अप्रेल, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रहलाद बैरवा कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत संवारिया, पं.स. टोड़ारायसिंह जिला टोंक को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी एवं तीसरी किस्त पास करने की एवज में प्रहलाद बैरवा कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत संवारिया, पं.स. टोड़ारायसिंह जिला टोंक द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए प्रहलाद बैरवा पुत्र श्री गोपी बैरवा निवासी कोटड़ी थाना लाम्बाहरिसिंह जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत संवारिया, पं.स. टोड़ारायसिंह जिला टोंक को परिवादी से **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।